

राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की बीमा योजना के सम्बन्ध में आमन्त्रित
निविदाओं की शर्तों के सम्बन्ध में प्रस्तावित संस्तुतियाँ

विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी दिनांक 19-11-2018 से 18-11-2019 तक की अवधि के लिये राज्य में जी0एस0टी0 में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में ₹0 5,00,000/- बीमा राशि मृतक व्यापारी के आश्रितों को दिये जाने के सम्बन्ध में योजना लागू की जानी है। इस हेतु इन्श्योरेन्स रेगुलेटरी डेवलपमेन्ट अथोरिटी (IRDA) में पंजीकृत बीमा कम्पनियों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव आमन्त्रित किया जाना प्रस्तावित है।

1— प्रस्तावित बीमा योजना राज्य में जी0एस0टी0 में पंजीकृत एकल स्वामित्व वाली फर्म, साझीदारी फर्म, एवं अविभाजित हिन्दू परिवार के रूप में व्यापार करने वाले व्यापारियों (लिमिटेड कम्पनी, सोसायटी, क्लब, एशोसिएशन, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों एवं अन्य प्राधिकरण या निकाय को छोड़कर) हेतु योजना अनुबन्ध के दिनांक से एक वर्ष के लिये लागू होगी।

2— निविदा प्रस्ताव विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 01.11.2018 सांय 2.00 बजे तक आयुक्त कर कार्यालय, मसूरी बाईपास रोड नथनपुर, देहरादून में उपलब्ध कराने होंगे। केवल वे ही बीमा कम्पनियाँ जो इन्श्योरेन्स रेगुलेटरी डेवलपमेन्ट अथोरिटी (IRDA) के अन्तर्गत पंजीकृत होंगी, उन्हीं के द्वारा भाग लिया जायेगा, अन्य किसी के द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3— यह बीमा योजना राज्य में जी0एस0टी0 में पंजीकृत एकल स्वामित्व, साझीदार फर्म एवं अविभाजित हिन्दू परिवार के रूप में व्यापार करने वाली फर्म के क्रमशः, स्वामी, साझेदार, कर्ता की दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा कम्पनी से अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिये लागू होगी। साझीदर फर्म एवं अविभाजित हिन्दू परिवार के रूप में व्यापार करने वाली फर्म में एक से अधिक व्यक्तियों का हित निहित हो सकता है, किन्तु दुर्घटना में मृत्यु की दशा में बीमा योजना के लाभ के लिये इस अवधि में एक डीलर केवल एक बार के लिये पात्र होगा तथा भुगतान दुर्घटना में मृत्यु होने वाले व्यक्ति के आश्रित को किया जायेगा। यदि किसी दुर्घटना में एक फर्म के एक से अधिक साझेदारों की मृत्यु होती है तो ऐसी दशा में सभी साझेदारों के आश्रितों में बीमा राशि के ₹0 5,00 लाख की धनराशि को बराबर-बराबर अंशों में बांटकर बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान किया जायेगा। यह योजना लिंग कम्पनी, सोसाइटी, क्लब एवं एशोसिएशन अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के वाणिज्यिक उपक्रम अथवा अन्य प्राधिकरण के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी। किसी भी व्यापारी के पंजीकृत होने के सम्बन्ध में सूचना वेबसाइट www.gst.gov.in में उपलब्ध है। जिसमें व्यापारी से सम्बंधित सूचनाएँ ली जा सकती है। पंजीकृत व्यापारियों से बीमा प्रस्ताव फार्म भराने/नोमिनेशन करवाने का दायित्व भी बीमा कम्पनी का होगा। यह योजना 19 नवम्बर 2018 से एक वर्ष के लिए अनुबन्धित होगी। इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 19-11-2018 को पंजीकृत समस्त व्यापारी (जैसा बिन्दु 1 में उल्लेख किया गया है) एवं दिनांक 19-11-2018 से 18-11-2019 तक इस अवधि में पंजीयन प्राप्त करने वाले डीलर बीमा योजना से आच्छादित होंगे। वर्तमान में दिनांक 31.08.2018 तक पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 155319 है, (जिसमें जी0एस0टी0 में पंजीकृत एकल स्वामित्व वाली फर्म, साझीदारी फर्म, एवं अविभाजित हिन्दू परिवार के रूप में व्यापार करने वाले व्यापारियों के अतिरिक्त लिमिटेड कम्पनी, सोसायटी, क्लब, एशोसिएशन, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों एवं अन्य प्राधिकरण या निकाय भी शामिल हैं) योजनावधि के दौरान पंजीयन प्राप्त करने वाले व्यापारी पंजीयन के प्रभावी दिनांक से बीमा योजना में निर्धारित मानकों के अनुसार स्वतः आच्छादित माने जायेंगे, और यदि बीच में किसी व्यापारी का पंजीकरण निरस्त हो जाता है, तो वह पंजीयन निरस्त होने की तिथि से बीमा योजना के आच्छादन से स्वतः

बाहर हो जायेगा। किसी भी व्यापारी की पंजीयन की स्थिति की सूचना वेबसाइट www.gst.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। अपरिहार्य कारणों से यदि नये पंजीयन प्राप्त करने वाले व्यापारियों एवं पंजीयन निरस्त होने वाले व्यापारियों की सूचना विभागीय वेबसाइट में दर्शित नहीं होती है, तो इस सम्बंध में विभागीय/सी0बी0आई0सी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

4— योजना के अन्तर्गत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में ₹० पांच लाख (5,00,000) की धनराशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा मृतक के आश्रित को बिन्दु संख्या-३ एवं ६ में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा।

5— यदि किसी बीमा कम्पनी द्वारा अपने प्रस्ताव में बीमित धनराशि के भुगतान के अतिरिक्त अपने स्तर से कोई अन्य सुविधा पीड़ित परिवार को उपलब्ध करायी जाती है तो ऐसी स्थिति में यदि किन्हीं दो (02) बीमा फर्मों का प्रस्ताव एक समान प्राप्त होता है तो अन्य सुविधा प्रदान करने वाली बीमा कम्पनी को वरीयता दी जायेगी।

6— पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में बीमा कम्पनी द्वारा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०) राज्य कर की संस्तुति पर प्रथमतः प्रश्नगत बीमित धनराशि, विधिक विवाहिता पत्नी/पति को उपलब्ध कराई जायेगी और यदि दो या दो से अधिक विधिक पत्नियां जीवित हैं तो बीमित धनराशि बराबर-बराबर सभी विधिक पत्नियों में बांटी जायेगी। जीवित पत्नी/पति न होने की दशा में तथा सम्बन्धित व्यापारी द्वारा मृत्यु से पूर्व इस बीमा के सम्बन्ध में किये गये नोमिनेशन तथा नोमिनेशन के अभाव में सक्षम न्यायालय के उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के आधार पर नामित उत्तराधिकारी को ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०) की संस्तुति पर बीमित धनराशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

7— बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर व्यापारी के आश्रित उत्तराधिकारी द्वारा भौगोलिक क्षेत्र से सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०) राज्य कर के माध्यम से बीमा कम्पनी में दावा 90 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा। बीमित धनराशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा दावा प्रस्ताव किये जाने के तीन माह के भीतर कराना होगा। सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०) राज्य कर, उत्तराखण्ड के माध्यम से व्यापारी के उत्तराधिकारी के नाम बीमित धनराशि का चैक सम्बन्धित व्यक्ति को प्राप्त कराया जायेगा।

यदि बीमा कम्पनी द्वारा मृतक के दावे की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता तो ऐसी दशा में तीन माह के पश्चात् की अवधि के चैक निर्गतिकरण में हुए विलम्ब की अवधि के मध्य दण्ड स्वरूप 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, सहित दावे का भुगतान बीमा कम्पनी को करना होगा।

8— बीमा कम्पनी के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वित्तीय बीमा योजना अवधि में प्रत्येक तीन माह के अन्तिम दिवसों में एडिशनल कमिश्नर (जोन) राज्य कर, उत्तराखण्ड के साथ अनिवार्य रूप से व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की अध्यावधिक प्रगति से अवगत कराने हेतु बैठक अयोजित की जायेगी।

9— सम्बन्धित चयनित बीमा कम्पनी का यह दायित्व होगा कि बीमा अवधि में दुर्घटना होने की स्थिति में यदि दावा बीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी प्रस्तुत किया जाता है तो सम्बन्धित बीमा कम्पनी तीन माह की निर्धारित समयावधि के भीतर बीमा दावे का निस्तारण कर बीमा धनराशि का भुगतान किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा बीमा के निस्तारण में विलम्ब करने की दशा में ब्याज की शर्त बिन्दु संख्या-०७ के अनुसार रहेगी।

अ/

Q

मा

वृष्णि

10— निविदा प्रक्रिया में घोषित सफल बीमा कंपनी को नियमानुसार समर्त वैधानिक (Statutory Taxes) कर की कटौती करने के उपरान्त भुगतान किया जाएगा।

11— आयुक्त कर कार्यालय में व्यापारी दुर्घटना योजना से सम्बन्धित अभिलेखों के आडिट के समय यदि किसी ऐसे अभिलेख की आवश्यकता पड़ती है, जो बीमा कंपनी से सम्बन्धित है, तो बीमा कंपनी को उक्त अभिलेख मांग पर अनिवार्य रूप से आडिट दल को प्रस्तुत करेंगे। योजना के सम्बन्ध में अन्य वांछित जानकारी एडिशनल कमिश्नर (विशेष वेतनमान) राज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं डिप्टी कमिश्नर, राज्य कर, मुख्यालय देहरादून से प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया जा सकता है।

12— वही बीमा कंपनी निविदा में प्रतिभाग कर सकती है, जिसकी शाखा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित है। उपरोक्त बीमा कंपनी को उत्तराखण्ड राज्य स्थित शाखा से निविदा प्रस्तुत करनी होगी।


13— प्रस्ताव दिनांक 01/11/2018 को सायं 02:00 बजे तक आयुक्त कर कार्यालय में रखी निविदा पेटी में डाले जा सकते हैं तथा उसी दिन सायं 03:00 बजे प्राप्त सभी प्रस्तावों को आयुक्त कर द्वारा गठित समिति द्वारा खोले जायेंगे। निविदा प्रस्तावों को खोलते समय प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।


14— अनुबन्ध के अन्तर्गत यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रथम स्तर में उसे आयुक्त राज्य कर या उनके द्वारा नामित अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

15— प्राप्त निविदाओं/प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त कर, उत्तराखण्ड का होगा।

16— किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर जिस क्षेत्र का विवाद होगा, उसी क्षेत्र के न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा।


(जगदीप सिंह)
उपायकर्ता, राज्य कर
मुख्यालय, देहरादून


(राकेश वर्मा)
ज्वाइट कमिश्नर, राज्य कर एडिशनल कमिश्नर, (लेखा) राज्य कर
मुख्यालय, देहरादून


(गंगा प्रसाद)
एडिशनल कमिश्नर (विशेष वेतनमान)
राज्य कर मुख्यालय, देहरादून